	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 28, बुधवार, शाके 1943-अक्टूबर 20, 2021 *Asvina 28, Wednesday, Saka 1943- October 20, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

खान (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 13, 2021

जी.एस.आर.359 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(47)खान/ग्रुप-1/2016 दिनांक 15.09.2020 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं:-

[**संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट-II**]

राज्यपाल के आदेश से,

राजेंद्र शेखर मक्कड़,

शासन उप सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 15, 2020

खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं.67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान अप्रधान (गौण) खनिज रियायत नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बताती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अप्रधान (गौण) खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 है । (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 28 का संशोधन.- राजस्थान अप्रधान (गौण) खनिज रियायत नियम, 2017 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 28 के उप-नियम (1) के खण्ड (**ii**) के उप-खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "समय-समय पर यथासंशोधित जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट दरों से" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अभिदान करेगा;" से पूर्व अभिव्यक्ति "और समय-समय पर यथासंशोधित राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास नियम, 2020 में विनिर्दिष्ट दरों से राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि में" अंत: स्थापित की जायेगी।

3. अनुसूची 51 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम-51 में,-(**i**) विद्यमान उप-नियम (6) के पश्चात् और विद्यमान उप-नियम (7) से पूर्व, निम्नलिखित (नया उप-नियम (6क) अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-"(6क) लघु अवधि अनुज्ञापत्र धारक भी समय-समय पर यथासंशोधित राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास नियम, 2020 में विनिर्दिष्ट दरों से राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि में अभिदाय करेगा।"; और(**ii**) उप-नियम (9) में,-

(क) खण्ड (**i**) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास निधि और राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" प्रतिस्थापित की जायेगी;(ख) खण्ड (**ii**) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास निधि और राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ग) खण्ड (**iv**) परंतुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास", जहां कही आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास निधि और राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. नियम 52 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम-52 में,-(**i**) उप-नियम (1) के खण्ड (**i**) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "निधि और समय-समय पर यथासंशोधित राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास नियम, 2020 में विनिर्दिष्ट दरों से राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" अंत:स्थापित की जायेगी;

(**ii**) उप-नियम (2) के खण्ड (**i**) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में अभिदाय के अग्रिम संदाय पर" से पूर्व अभिव्यक्ति "निधि और समय-समय पर यथासंशोधित राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास नियम, 2020 में विनिर्दिष्ट दरों से राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" अंत:स्थापित की जायेगी; और

(**iii**) उप-नियम (3) के खण्ड (**v ii**) उपखण्ड (घ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "समय-समय पर यथासंशोधित जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम" 2016 में विनिर्दिष्ट दरों से" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अभिदाय:" से पूर्व अभिव्यक्ति "जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास और समय-समय पर यथासंशोधित राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास नियम, 2020 में विनिर्दिष्ट दरों से राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" अंत:स्थापित की जायेगी।

5. नियम 53 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 53 के उप-नियम (8) के खण्ड (**ii**) में विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास निधि और राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. नियम 71 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 71 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला खनिज प्रतिष्ठान में अभिदाय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास निधि और राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि में अभिदाय" प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. नियम 77 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 77 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "न्यास निधि और राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. नियम 87 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 87 के उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास निधि और राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" प्रतिस्थापित की जायेगी ।

9. प्ररूप 6 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 6 के खण्ड 4 में,-(**i**) उप-खण्ड (2) की मद (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "संदाय करेगा" से पूर्व अभिव्यक्ति "और समय-समय पर यथासंशोधित राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास नियम, 2020 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि में" अंत:स्थापित की जायेगी; और (**ii**) उप-खण्ड (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास निधि और राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. प्ररूप 28 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 28 की शर्त (**i**) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास निधि और राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.12(47)खान/ग्रुप-1/2016]

राज्यपाल के आदेश से,

ओम कसेरा,

संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।